राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 356/2007

गोपाल राम पुत्र श्री नरसिंह, निवासी भोमासर बास, वार्ड नं. 9, श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर के माध्यम से।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विवेक फिरोदा
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री सरवन कुमार

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

29/04/2024

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे उसे एलडीसी के पद पर उसी तारीख से पदोन्नति प्रदान करें जिस तारीख को उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, साथ ही सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 याचिकाकर्ता को शुरू में दिनांक 14.03.1989 के आदेश द्वारा लैब बॉय (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर नियुक्त किया गया था। एलडीसी के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से वर्ष 2002-

2003 में वरिष्ठता के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एक सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं था। दिनांक 23.11.2002 के पत्र के तहत प्रतिवादी संख्या 2 ने जमादार/एलडीसी के पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2002-2003 के लिए डीपीसी में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों की अनंतिम सूची मांगी थी।

2.2 याचिकाकर्ता को जब यह जानकारी मिली कि पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची में उसका नाम शामिल नहीं है, तो उसने 30.11.2002 को प्रतिवादी संख्या 2 को अपना नाम शामिल करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, दिनांक 05.12.2003 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को सूचित किया कि याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 24-ए में वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है।

2.3 यद्यपि याचिकाकर्ता का नाम अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल था, फिर भी उसे एलडीसी के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। उससे कनिष्ठ अन्य अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.12.2003, 09.01.2004 और 24.07.2004 को विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्यथित होकर, उसने तत्काल रिट याचिका दायर की।

3. याचिका के प्रत्युत्तर में बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता 01.04.2001 तक श्री डूंगरगढ़ जिले में कर्मचारी था। जिला कैडर का पद होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता जिलेवार रखी जाती है। तदनुसार, उसके पूर्ववर्ती जिले में वरिष्ठता सूची रखी गई थी। डी.पी.सी. की तिथि तक उसका नाम जिला बीकानेर की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं था। अतः सूची में न होने के कारण बीकानेर में एल.डी.सी. के पद पर पदोन्नति के लिए डी.पी.सी. में उसके नाम पर विचार नहीं किया गया।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिस्पर्धी तर्क सुने हैं तथा केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु संक्षिप्त विवाद यह है कि क्या यह याचिकाकर्ता की गलती है कि उसे जिला बीकानेर में वरिष्ठता सूची में उसका नाम सम्मिलित न होने के कारण पदोन्नति पद पर विचार के लिए नजरअंदाज किया गया?

6. उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत उत्तर से स्पष्ट है कि लगभग स्वीकृत स्थिति को देखते हुए उत्तर प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं है। इसके पैरा 3 और 4 प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुन: उद्धृत किए जा रहे हैं:-

> "(3) रिट याचिका के पैरा 3 में निहित कथनों के उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वरिष्ठता जिलेवार रखी जाती है। दिनांक 01.04.2001 को श्रीडूंगरगढ़ के बीकानेर में विलय से पूर्व याचिकाकर्ता चूरू जिले में कार्यरत था। दिनांक 01.04.2001 को श्रीडूंगरगढ़ के बीकानेर जिले में विलय के पश्चात याचिकाकर्ता बीकानेर जिले का कर्मचारी बन गया। दिनांक 23.11.2002 को वर्ष 1998-1999 से 2002-2003 की डीपीसी के लिए बीकानेर जिले में पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों की अनंतिम पात्रता सूची तैयार की गई। याचिकाकर्ता को बीकानेर जिले में सम्मिलित करने के पश्चात उसका नाम बीकानेर जिले की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 24-ए पर भी सम्मिलित किया गया। वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता का नाम सम्मिलित करने के पश्चात एलडीसी के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। जब भी पदोन्नति प्रदान की जाएगी, याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाएगा।
>
> (4) कि रिट याचिका के पैरा 4 में निहित कथनों के उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 01.04.2001 को श्रीडूंगरगढ़ को बीकानेर जिले में सम्मिलित करने के पश्चात चूरू से विभाग के प्राधिकारियों द्वारा फार्म 6 भेजा जाना अपेक्षित था तथा चूंकि पात्रता सूची जारी होने तक उक्त फार्म 6 नहीं भेजा गया, इसलिए याचिकाकर्ता का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया गया।

7. उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि श्रीडूंगरगढ़ जिले के बीकानेर में सम्मिलित होने की तिथि दिनांक 01.04.2001 है। श्री डूंगरगढ़ के बीकानेर जिले में विलय के डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद 23.11.2002 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई।

8. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले श्री डूंगरगढ़ 01.04.2001 तक जिला चूरू का हिस्सा था। इसलिए, याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सूची उसके पहले जिले में ही रखी जा रही थी।

9. इसी संदर्भ में जिला चूरू के अधिकारियों पर दोष मढ़ा गया है। बचाव पक्ष यह है कि, उन्हें ही चूरू में याचिकाकर्ता की वरिष्ठता स्थिति की जानकारी देते हुए फार्म 6 भेजना था, ताकि बीकानेर के अधिकारियों द्वारा उसे उचित वरिष्ठता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

10. दिलचस्प बात यह है कि इस तथ्य के अलावा कोई अन्य उचित औचित्य/स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है कि चूंकि चूरू के अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे, इसलिए बीकानेर के अधिकारी उचित कदम उठाने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हैं।

11. यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि याचिकाकर्ता मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने के कारण चूरू में जिला अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं था, जिन्होंने संभवतः उसके अनुरोध पर यह कहकर प्रतिक्रिया दी होगी कि वे या तो समय रहते आवश्यक कार्रवाई करेंगे या बीकानेर में अधिकारियों को उनसे संपर्क करना चाहिए ताकि वे जिलावार वरिष्ठता सूची तैयार कर सकें। स्वीकृत स्थिति यह थी/है कि याचिकाकर्ता उक्त समामेलन के बाद 01.04.2001 से उनके साथ काम कर रहा था।

12. सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता से यह प्रश्न पूछा गया कि प्रतिवादी रिकॉर्ड पर कुछ भी दिखाएं कि बीकानेर जिले के अधिकारियों ने चूरू जिले के अधिकारियों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए, लेकिन कोई सार्थक जानकारी सामने नहीं आई। इस प्रकार यह मान लेना सुरक्षित है कि बीकानेर जिले के अधिकारियों ने 23.11.2002 की अनंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने से पहले उचित परिश्रम नहीं किया।

13. इतना ही नहीं, मामले का एक और पहलू है, जिस पर विचार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने अनंतिम वरिष्ठता सूची के बारे में पता चलने पर दिनांक 30.11.2002 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। याचिका के पैरा 6 में एक विशिष्ट कथन है कि उसने आपत्तियां प्रस्तुत की थीं, जिस पर प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के संगत पैरा में एक टालमटोल वाला और रहस्यमय जवाब दिया गया है, जिसमें केवल यह कहा गया है कि याचिका का पैरा 6 किसी भी प्रतिक्रिया का हकदार नहीं है।

14. मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए थी और वर्ष 2002-03 में डीपीसी आयोजित करने के समय एलडीसी के पदोन्नति पद के लिए उनकी वरिष्ठता के अनुसार उन पर विचार किया जाना चाहिए था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों की ओर से की गई निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा है।

15. सरकारी सेवा में पदोन्नति एक अधिकारी के लिए एक आवश्यक प्रेरक तत्व है, जो अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करके जोश और उत्साह के साथ काम करता है, ताकि वरिष्ठों द्वारा उचित रूप से पुरस्कृत किया जा सके। इस संदर्भ में, डॉ. सुश्री ओ.जेड. हुसैन बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1990 एससी 311 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: -

> “इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर यह इंगित किया है कि पदोन्नति के प्रावधान से सार्वजनिक सेवा की पर्याप्तता बढ़ती है जबकि ठहराव से कार्यकुशलता घटती है और सेवा अप्रभावी हो जाती है। इस प्रकार पदोन्नति सेवा का एक सामान्य परिणाम है। इस बात का भी कोई औचित्य नहीं है कि जब अन्य मंत्रालयों में समान पद पर नियुक्त अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की स्थापना में गैर-चिकित्सा ‘ए’ समूह के वैज्ञानिकों को इस लाभ से वंचित क्यों रखा जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य में, यह आवश्यक है कि एक कुशल सार्वजनिक सेवा हो और इसलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दायित्व होना चाहिए कि वह परिषद और उसके सदस्यों के अभ्यावेदन पर ध्यान दे और उक्त श्रेणी के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करे। इसलिए, यह आवश्यक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के मॉडल पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ निदेशालय के गैर-चिकित्सा विंग में ‘ए’ श्रेणी के वैज्ञानिकों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए उचित नियम बनाए जाएं।”

16. उपर्युक्त आधार में, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित किए जाने के परिणामस्वरूप निःसंदेह याचिकाकर्ता को उसकी किसी गलती के बिना ही अपमानित होना पड़ा है।

17. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार करें, जो उसने 23.11.2002 की अनंतिम वरिष्ठता सूची में प्रस्तुत की थीं तथा उसे जिला चूरू से बाद में प्राप्त प्रपत्र 6 के आधार पर उसी तिथि को वरिष्ठता प्रदान करें।

18. उसे उसकी पात्रता के अनुसार वरिष्ठता प्रदान करने के पश्चात, प्रतिवादी उसके पदोन्नति के मामले पर उसी तिथि को विचार करेंगे, जिस तिथि को उसके कनिष्ठों को समान लाभ प्रदान किया गया था तथा यदि याचिकाकर्ता पात्र तथा योग्य पाया जाता है, तो उसे उसी तिथि से पदोन्नति दी जाएगी तथा उससे उत्पन्न होने वाले सभी काल्पनिक लाभों के साथ वरिष्ठता प्रदान की जाएगी।

19. याचिकाकर्ता ने 2007 में रिट याचिका दायर करके अत्यधिक देरी के बाद इस न्यायालय में आने में हुई देरी को स्वयं स्वीकार कर लिया है, इसलिए न्यायालय को यह उचित मामला नहीं लगता है, जहां पूर्वव्यापी पदोन्नति से होने वाले वित्तीय लाभ, यदि दिए गए हों, तो उन्हें दिए जाने चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा की गई देरी को इस आधार पर उचित ठहराया गया है कि वह समय-समय पर प्रतिनिधित्व करता रहा है, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता की ओर से भी इसमें योगदानकारी लापरवाही रही है।

20. कार्रवाई का एक निरंतर कारण होने के कारण, रिट याचिका दायर करने में देरी को माफ किया जा रहा है और याचिकाकर्ता को पूर्वव्यापी वित्तीय लाभ से वंचित करने के उद्देश्य से ही इस पर चर्चा की जा रही है।

21. रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया जाता है।

22. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।